



63

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2016 रेस्टोरेशन

3221-9049-I-K

- 1- मोहन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
- 2- नरेन्द्र सिंह पुत्र ~~का~~ धौधू सिंह
निवासीगण - ग्राम पुरावसकलॉ,
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना(म.प्र.)
.....आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- उम्मेद सिंह पुत्र रामदयाल
- 2- जनक सिंह पुत्र रामदयाल
- 3- नाथू सिंह पुत्र प्रताप सिंह
- 4- मेघ सिंह पुत्र प्रताप सिंह
- 5- रामदीन पुत्र कीरथ सिंह
- 6- कमलेश पुत्र छोटेलाल
- 7- रामनरेश पुत्र दाउदयाल
- 8- श्रीमती जनककुमारी पत्नी स्व.
युधिष्ठिर सिंह
- 9- जगराज सिंह पुत्र कप्तान सिंह
- 10- होशियार सिंह पुत्र द्वारिका सिंह
निवासीगण-ग्राम पुरावसकलॉ,
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना(म.प्र.)
- 11- श्रीमान् अपर आयुक्त, चम्बल
संभाग, मुरैना
- 12- श्रीमान् कलेक्टर, जिला मुरैना
- 13- श्रीमान् तहसीलदार, तेहसील
अम्बाह, जिला मुरैना

.....अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 35 (3) म.प्र. भू-राजस्व संहिता विरुद्ध
आदेश दिनांक 06.07.2015 वास्ते मोहन सिंह आदि बनाम उम्मेद
सिंह आदि निगरानी क्र.1193-II/2010 पुनः नम्बर पर लिए जाने
बावत।

श्रीमान् जी,

II. अनिल उसा, कोशिका
द्वारा आज 18.9.2016 को
प्रस्तुत

वका
बिलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल मंत्र ग्वालियर

18/9-16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अधिकारियों आदि के हस्ताक्षर
०८-१२-१६	<p>आवेदन अर्थात् श्री. लक्ष्मण सिंह</p> <p>श्री. लक्ष्मण सिंह उपस्थित । उक्त</p> <p>रेलवे स्टेशन आवेदन पर सुना</p> <p>गया । विद्योपरोपरत रेलवे आवेदन</p> <p>स्वीकार किया जा रहा है । मूल</p> <p>उक्त R. 1193-110 में न्याय</p> <p>आधार होने से पुनः सुनवाई</p> <p>है नम्बर पर लिखा जा रहा</p> <p>है । यह उक्त समाप्त है ।</p> <p style="text-align: right;">सरमा</p>	<p>Bhukla</p> <p>शुभ</p> <p>(D.K. Shukla)</p> <p>१-१-१६</p> <p>१-१-१६</p>

P. 2/16